न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री कैलाश चन्द्र

निगरानी संख्या– 21/18 तारीख रज्जू– 14/09/18

1. रामकिशोर पुत्र बजरंगलाल जाति जाट उम्र 58 साल निवासी ग्राम टापुर थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। ——— निगरानी गुजार

बनाम

1. ग्राम पंचायत टापुर जिला सवाई माधोपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी ,ग्राम पंचायत टापुर निवासी चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. ग्राम पंचायत टापुर जिला सवाई माधोपुर जरिये संरपच ग्राम पंचायत टापुर निवासी ग्राम टापुर जिला सवाई माधोपुर
3. रामदयालय पुत्र श्री बन्ना जाति जाट उम्र 37 साल ग्राम पंचायत टापुर निवासी ग्राम टापुर जिला सवाई माधोपुर। ———अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 20.12.19

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत टापुर के निर्णय दिनांक 05.06.18 तथा पट्टा संख्या 67 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अप्रार्थी सं01 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में पट्टा जारी किया हुआ है, साथ ही ग्राम पंचायत टापुर के निर्णय दिनांक 05.06.18 तथा पट्टा संख्या 67 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 के पिता के हक में पट्टा संख्या 9 दिनांक 21.08.1969 जारी किया गया था। जिसके पूर्व में एक गज गली है। उक्त अप्रार्थी सं0 3 के पिता के हक में जारी पट्टे के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 ने नया पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया था। जिसका सिविल न्यायाधीश के यहां दावा विचाराधीन है तथा उक्त दावे में पट्टे की साईज 11.5x19 बताई गई है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा उक्त पट्टे के पास की गली को सम्मलित करने हुए 38x57 साईज का पट्टा जारी कर दिया गया है। जो नियम विपरित होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत की आदेशिका में कोई दिनांक अंकित नहीं की हुई है ना ही संरपच के अलावा किसी और के हस्ताक्षर हो रहे है। आपत्ति नोटिस भी एक माह का जारी नहीं किया हुआ है तथा आबादी प्रमाण पत्र पर भी पटवारी के हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नहीं है, साथ ही वकील निगरानीगुजार ने ग्राम पंचायत टापुर के निर्णय दिनांक 05.06.18 तथा पट्टा संख्या 67 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आरजीयात पर हमारा पुशैतनी कब्जा काश्त है तथा अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही कर ही पट्टा पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत टापुर के निर्णय दिनांक 05.06.18 तथा पट्टा संख्या 67 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अप्रार्थी सं0 3 ने दिनांक 02.05.2018 को अपने पिता के नाम को पट्टा स्वयं के नाम बनवाने हेतु आवेदन किया है। जिस पर वार्ड पंच द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार वार्ड पंच द्वारा पट्टा बनाने की सिफारिश भी की गई है तथा दिनांक 17.05.2018 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया जिसके पश्चात् वार्ड पंच की सहमति से संरपच द्वारा दिनांक 05.06.18 को निर्णय पारित कर दिया गया है। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत द्वारा एक माह का आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया है, साथ ही उक्त आपत्ति नोटिस कहां चस्पा किया गया है यह भी नोटिस में कही अंकित नहीं है तथा अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न आबादी प्रमाण पत्र पर भी पटवारी हल्का के कोई हस्ताक्षर नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया गया है तथा नोटिस भी किस स्थान पर चस्पा किया गया है यह भी नोटिस में कहीं अंकित नहीं किया हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिनुसार नहीं पाया जाता है तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टे से निगरानीगुजार को आपत्ति है।

अतः मेरे अभिमत में निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत टापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में जारी निर्णय दिनांक 05.06.18 तथा पट्टा संख्या 67 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा साथ ही अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनकर विधिनुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chander
Date: 2020.02.06 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: